न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 147/2010 (2010/00080) वादपत्र

1. हीरालाल वल्द जीतमल बुलिया महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर मतृक के बजाय
1/1. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल इन्दोर
1/2. दलपतसिंह पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल कांकरोली
1/3. गणपत पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल पांवापुरी (सिरोही)
1/4. नजरबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि सोहनलाल महता निवासी हाल उदयपुर
1/5. सम्पतबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि अर्जुनलाल बापना निवासी रायपुर
1/6. लुणबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि चुन्नीलाल चण्डालिया निवासी हाल उदयपुर

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत नि. ढिकाणी त. रायपुर मृतक के बजाय
1/1. हरिसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. शंकरसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. सम्पतसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. पारसकंवर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5. शानुकवंर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6. कमलाकंवर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुगनसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1. भैरूसिंह पुत्र सुगनसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2. गजराजसिंह पुत्र सुगनसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
3. मनोहरसिंह वल्द समरथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहनसिंह उर्फ भंवरसिंह वल्द समरथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
5. शंकरसिंह वल्द भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
6. हरिसिंह वल्द भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
7. भेपालसिंह वल्द गुमानसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भोमसिंह वल्द नन्दसिंह राजपूत निवासी पालड़ी हाल मुकाम ढिकाणी तहसील रायपुर
9. सज्जनसिंह वल्द सार्दुलसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लक्ष्मणसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर लाओलाद फोत
11. मोडसिंह वल्द रघुनाथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
11/1. धापुकवंर बेवा मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/2. भीमसिह पुत्र मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/3. पुरणकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/4. सम्पतकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/5. कैलाशकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जि0 भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, रा0 टि0 एक्ट

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। वादी द्वारा वर्ष 1981 में वाद सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश किया गया था जो गंगापुर न्यायालय में दर्ज होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा ढीकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का मे निम्न नम्बरान की आराजियात स्थित हैः— आराजी नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 153 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 154 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 155 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 157 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 161 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 162 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 163 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 166 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 169 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 174 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 179 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 180 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 182 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 183 रकबा 2 बीघा, कुल किता 26 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में चाह का खातेदार कृषक वादी है ओर राजकीय माली कागजात में उक्त मय चाह वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर वादी के आधिपत्य में चली आ रही है ओर वादी ही उस भूमि का एक मात्र खातेदार कृषक होकर उस पर काबिज हो उपयोग उपभोग बरसो से करता चला आ रहा है उक्त आराजियात का लगान आदि भी राज्य सरकार में वादी ही जमा करा रहा है। वादी को अपनी आराजियात में विकास हेतु सरकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर से ऋण लिया है उस ऋण के ऐवज में उक्त सभी भूमि मय दीगर भूमियो के वादी ने सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक के हक में सिम्पल मोरगेज भी की है हालांकि वाद में ऋण लिया वह वादी ने चुका दिया है गरज की उक्त वर्णित भूमि वाद के खातेदार अधिकार एवं आधिपत्य की होने से वादी ने ही रहन रखी ओर वादी का ही आधिपत्य होने से वादी के आधिपत्य एवं कब्जे में निरन्तर चली आ रही है। यह है कि प्रतिवादीगण का भूमि पर निजाई से कोई वास्ता व संबंध नही है प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 11 तक ने एक नाजायज पार्टी बना रखी है ओर वादी के जायज कब्जे में जबरन दखलदांजी व हस्तक्षेप करना चाहते है जबकि भूमि निजाई से प्रतिवादीगण का कभी कोई वास्ता व संबंध नही रहा है ओर व न है प्रतिवादीगण जाति से राजपूत होकर खुखार है ओर जबरन लठ के बल से उक्त भूमि निजाई पर से वादी को अनाधिकार तरीकें से कब्जा छिनना चाहते है इस हेतु भूमि निजाई में यदा कदा प्रवेश कर मुजाहमत भी करते है। अतः प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना जरूरी है कि वादी के जायज कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप नही करें करावें। प्रतिवादीगण मे से प्रतिवादी संख्या 2 ने एक झुठा नोटिस तारीख 13.10.81 को वादी को यह कहकर दिया कि उक्त भूमि मुतनाजा वादी के यहा रहन बिल कब्जे है ओर रहन की अवहध समाप्त हो गई है अतः खत रहन भरपाई कर प्रतिवादी सुगनसिंह के सिपूर्द करे व इसी तरह तारीख

26.10.81 को भी फिर एक ओर झुठा नोटिस वादी को दिया इसमें भी बिलकुल निर्मूल एवं असत्य बाते पूर्व नोटिस के भी विपरीत लिखी गरज की प्रतिवादी सुगनसिंह अथवा अन्य किसी भी प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार भूम निजाई से कभी भी किसी प्रकार सक नही है व न रहा है। प्रतिवादीगण आये दिन गलत व झुठी एवं धमकी भरे नोटिस बाजी कर लठ के बल से कानुन को हाथ में लेकर वादी के जायज कब्जे को छिनना चाहते है जो कतई गलत है ओर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा व दखल नही है। यह है कि अभी इस वर्ष सियालु की फसल में उक्त भूमियो ने वादी ने ही हमेशा की भांति मक्की, मुगंफली तिल्ली, उड़द व चवला व घास आदि की कोई हवली है तारीख 6.10.81 को मजमा नाजायज बनाकर उक्त भूमि पर वादी की बिला रजामंदी आये ओर वादी को अपनी फसल मक्की तिल्ली व घास उक्त आराजियात से लाने में मुजाहमत करने लगे इस पर थाणा में वादी के पुत्र श्री गणपत लाल द्वारा इतला दी गई जो मु0न0 60 सन्82 पर दर्ज होकर मुलजिमान के विरूद्व तफदीश जारी है इसके बाद वादी अपनी फसल तिल्ली मक्की व घास लेकर आया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण कानुन को हाथ में लेकर जबरन वादी को भूमि मुतनाजा से बैदखल करना चाहते है ओर इस हेतु अपनी ही समाज के लोगो की नाजायज पार्टी बना रखी है तथा इन प्रतिवादीगण मे से कुछ व्यक्ति हिस्टरी सिटर भी है जो मरने मारने में संकोच नही करते है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना कानुनन रिहायत जरूरी है। यह है कि 53 साल से भूमि निजाईवादी के कब्जे में चली आ रही है प्रतिवादीगण का रेवेन्यु रेकार्ड में कही पर भी किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नही है ओर न उनका कभी कोई कब्जा व दखल ही कभी रहा है। अरसा 12 साल से ज्यादा अरसा से भूमि निजाई पर कब्जा व दखल बमुकाबले प्रतिवादीगण भी वादी का सिद्व है अतः कब्जा मुखालपाना के आधार पर भी उक्त भूमि में वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी प्रार्थी है कि बजरिये डिक्री है हुक्म हम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण स0 1 में वर्णित आराजियात एवं चाह जो वादी के खातेदारी अधिकार की है पर किसी प्रकार से अनाधिकार तरीके कब्जा करने की कोशिश नही करे ओर वादी को शान्तिपूर्वक हमेशा की भांति निजाई पर काबिज बने रहे देकर हमेशा की भांति काश्त करने देवे ओर किसी प्रकार की कोई मुजाहमत व हस्तक्षेप स्वयं या अन्य किसी से नही करे करावे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 और से प्रतिवाद पत्र पेश हुआ जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण हरिसिंह, शंकरसिंह, सम्पतसिंह, वल्द भंवरसिंह भंवरकंवर पत्नि भवंरसिंह, पारसकवंर, शानुकंवर, कमलाकवंर पुत्रीया भंवरसिंह राजपूत उगमकंवर विधवा सुगनसिंह भैरूसिंह, गजराजसिंह वल्द सुगनसिंह मनोहरसिंह वल्द समरथ सिंह मोहनसिंह, शंकरसिंह, हरिसिंह गोपालसिंह, भोमसिंह, लक्ष्मणसिंह, धापूकंवर विधवा मोडसिंह भीमसिह वल्द मोडसिंह पूरणकवंर, सम्पतकंवर, कैलाषकंवर पुत्रीया मोडसिंह राजपूत निवासियान ठिकाणी तहसील रायपुर के जवाबदावा अनुसार वादपत्र की कलम नम्बर 1 में दर्ज आराजियात किता 26 रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित सही है क्योकि अन्य ग्रामों के साथ मौजा ढिकाणी का भी

नवीन नम्बरान की जमाबन्दीया बन चुकी है किन्तु वादी की ओर से 21.11.2002 तक भी नवीन नम्बरान के बाबत् कोई अंकन अपने वाद पत्र में नही किया है जिससे यह वाद पत्र कानुन सम्मत नही हाने से निरस्त होने योग्य है। वादीगण चाहे तो नवीनी पेमाईश नम्बरान के आधार पर नवीन वाद न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है। यह है कि संसोधित टाईटल भी वादीगण ने सही अकित नही किया है वादी हीरालाल बुलिया का इन्तकाल हो गया किन्तु इसके वारीसान कोन कोन है इसका कोई उल्लेख संसोधित टाईटल में नही हो रहा है। यह है कि वादपत्र की कलम नम्बर 2 जिस रूप में अकित की गई है वह स्वीकार नही है। वादी हीरालाल वादपत्र की धारा 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार नही है ओर न उसका इन विवादित आराजियात पर कभी कोई कब्जा रहा है ओर न वर्तमान में कब्जा है जबकि वादी का भोतिक रूप से आराजियात पर आधिपत्य न हो उसका वादपत्र धारा 188 आरटीए के अर्न्तगत किसी प्रकार से पोशनीय नही है निश्चित तोर पर वादी का वादपत्र की कलम नम्बर 1 वर्णित आराजियात पर भौतिक रूप से आधिपत्य नही है ओर भौतिक रूप से आधिपत्य प्रतिवादीगणो का अपने पूर्वजो के समय से शान्तिपूर्वक चला आ रहा है ओर वर्तमान में आधिपत्य प्रतिवादीगण का ही है। वाद पत्र की कलम नम्बर 3 गलत होने से स्वीकार नही है इस धारा में कई जगह रिक्त स्थान अकिंत है जिनकी पूर्तिया वादी पक्ष द्वारा नही की गई है इसके अलावा भी बकौल वादी उक्त आराजियात भूमि विकास बैंक गंगापुर के ऋण एवज में रहन है। ऐसी स्थिति में वादी को तो भेतिक आधिपत्य होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। यह है वाद पत्र की कलम नम्बर 4 जिस रूप में अकित की गई है वह स्वीकार नही है उक्त आराजियात हम प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से अर्थात 50 वर्ष से भी अधिक अर्से से हम प्रतिवादीगण के परिवार के कब्जे में चली आ रही है पिछले 50 वर्षो गें एक भी दिन वादी अथवा वादी के किसी परिवार जन का कब्जा नही हुआ ओर केवल कब्जा प्राप्त करने के लिये वादी वाद प्रस्तुत किया है अन्य तथ्य जो इस धारा में अकित किये गये है वे सरासर गलत होन से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। चुकिः वादी पक्ष का भोतिक आधिपत्य दायर वाद पत्र को भी नही था ओर न ही आज है ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वादी पक्ष का वाद पत्र बाबत् निषेधाज्ञा अर्न्तगत 188 आरटीए अधिनियम किसी प्रकार से पोषनीय नही है ओर न हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र ही कानुन सम्मत चलने योग्य नही है। वादपत्र की कलम नम्बर 5 का जवाब यह है कि भवंरसिंह जी ने वादी पक्ष को 13.10.81 को सही नोटिस दिया था जिसका कोई जवाब वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादीगण के परिजन को नही दिया गया इसका अर्थ यही हुआ कि वादी पक्ष ने स्व. भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह जी के द्वारा जारी कराये गये नोटिस को सही मानते हुए उसका कोई खंडन नही किया गया ओर प्रतिवादी के पूर्वजो का कब्जा मानते हुए अपने आप को सतुष्ट कर लिया। ऐसी स्थिति में वादी पक्ष का वादपत्र किसी प्रकार से पोषणीय न होकर अपास्त होने योग्य है। वाद पत्र की कलम नम्बर 8 जिस रूप में अकिंत की गई है वह सरासर गलत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। वादी पक्ष का विवादित आराजियात का एक मिनट लिए भी व एक इन्च भूमि पर ही कभी कब्जा नही हुआ ओर कब्जा शान्तिपूर्वक प्रतिवादी पक्ष का ही चलता आ रहा है ऐसी स्थिति में वादी पक्ष को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है अन्य तथ्य जो इस धारा में अकिंत किये गये है वह सरासर गलत है। वाद पत्र की कलम नम्बर 9 जिस रूप में

अकिंत की गई है वह सरासर गलत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रतिवादी पक्ष का विवादित आराजियात पर पिछले 50 वर्षो से भी अधिक अर्से से भौतिक आधिपत्य चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम नम्बर 11 कानुनी होने से जवाब की जरूरत नही है अलबत्ता वादी पक्ष ने सरासर गलत आधार पर कब्जा लेने की आड़ में धारा 188 का वाद पेश किया है जो कब्जे के अभाव में पोषणीय नही है। मजीद कथन में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 11.01.82 को आदेश 06 नियम 05 एवं दिनांक 29.09.82 को आदेश 10 नियम 02 जा0दी0 के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिसका वादी पक्ष न तो कोई जवाब पेश किया गया न ही इस बाबत् कोई स्पष्ठीकरण ही प्रस्तुत किया गया क्योकि वादी पक्ष के पास दोनो ही आवेदनों का कोई जवाब था ही नही। वादी पक्ष की ओर से सूचना पत्र प्रतिवादी स्व0 सुगनसिंह, विजयसिंह पिता देवीसिंह राजपूत को दिया उसका जवाब स्व0 स्व0 सुगनसिंह, विजयसिंह ने वास्तविक तथ्यो का खुलासा करते हुए वादी पक्ष को दे दिया था कि उक्त आराजियात श्री जोधसिंह पिता किशनसिंह राजपूत के नाम बन्दोबस्त रेकार्ड दर्ज थी जिसका खाता नम्बर 92 था वो जमीन प्रतिवादीगण की है एवं उस जमीन के सही बापीदार व हकदार प्रतिवादीगण के पूर्वज थे। जोधसिंह के पिता किशनसिंह राजपूत ने प्रतिवादीगणो के पूर्वजो के पक्ष में तहरीर भी संवत 1989 के कार्तिक शुदी तेरस को लिखकर दी थी मुरड़ी का चौड़ा की कुल जमीन बापी का हक हमारा नही होकर अर्थात जोधसिंह जी पिता किशनसिंह जी का नही होकर देवीसिंह सार्दुलसिंह जी का था साथ ही यह भी अकित किया कि इस जमीन बेचने का अधिकार उनका न होकर प्रतिवादीगणो के पूर्वजो का है। पूर्व में यह जमीन ग्राम ठाणे के ठाकुर साहब की थी जिन्होने जोधसिंह के पिता को कमा खाने के वास्ते दी थी। इस जमीन के विवाद को लेकर जोईड़ा बावज़ी में स्व0 हीरालाल ने आदमियो को इक्ठ्ठा किया ओर हीरालाल ने कहा कि जमीन यदि उनके पास रहन होगी तो रहन छोड़ देंगे। यदि जोधसिंह से वादी पक्ष के पूर्वजो ने जमीन किसी भी फर्जी दस्तावेज के जरिये नाम पर भी करवा ली हो तो प्रतिवादीगण के मुकाबले नल एण्ड वोईड है क्योकि जोईड़ा बावजी के स्थान पर जोधसिंह की लिखतम उपस्थित मोतबिरान के समक्ष स्व0 हीरालाल जी पटवा को दी थी ओर उन्होने तसल्ली भी कर ली थी कि जमीन प्रतिवादीगण के पूर्वजो की ही थी ओर गलत प्रकार से इन्द्राज वादी स्व0 हीरालाल के जवाईं अर्जुनलाल बापना जो कि पटवारी थे उन्होने ही रेकार्ड में हेराफेरी करवाकर जमीन को स्व0 हीरालाल के नाम राजस्व रेकार्ड में तो दर्ज करवा ली किन्तु कब्जा वादी हीरालाल के जवाई अर्जुनलाल बापना वादी पक्ष को अब तक भी नही दिलवा सके। राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर केम्प भीलवाड़ा के आदेश के आधार पर तहसीलदार रायपुर ने विवादग्रस्त आराजियात को रिसिवरी मे लेने की कोशिश की किन्तु जमीन प्रतिवादी के पक्ष के कब्जे में होने से कब्जा तहसीलदार रायपुर नही ले पाया। विवादित आराजियात पर पिछले 50 वर्षो से प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। जिसे प्रतिवादीगण कब्जा मुखालपाने के आधार पर विवादित आराजियात काश्तकार हो गये है। इसलिये प्रतिवादीगण जवाबदावा के साथ ही मुजराई दावा 01/— की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर रहे है। वादी हीरालाल ने ओर उसके वारीसान ने अच्छी प्रकार से जानते हुए वाद प्रस्तुति के दिनांक से काफी अर्से पहले से ही इन आराजियात पर प्रतिवादीगण व उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है फिर भी उन्होने धारा 188 आरटीए बाबत् निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र सरासर गलत आधार पर प्रस्तुत किया है जिससे प्रतिवादीगण काफी जैरबाज व परेशान हुए है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र

विशेष खर्चे सहित खारीज योग्य है। अतएव प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब्जे के अभाव में, कब्जे की दाद मांगे बिना विशेष खर्चे सहित खारीज फरमाया जावें।

वाद ओर प्रतिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित आराजियात मय चाह जो वादी के खातेदारी ओर कब्जे काश्त की है में प्रतिवादीगण दखंल नही करे वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे बाबत्वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है— वादीगण
2. आया प्रतिवादीगण का वाद वर्णित आराजियात पर पिछले 50 से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त है ओर कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार का हक प्राप्त हो जाने से खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है— प्रतिवादीगण
3. अनुतोष

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की मौखिक बहस सुनी गई एवं दोनो अधिवक्ताओं के द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

वादी अधिवक्ता के द्वारा बहस में निवेदन किया कि वाद में वर्णित आराजियात से प्रतिवादीगणो का कोई वास्ता नही है प्रतिवादी, वादी के कब्जे में जबरन हस्तक्षेप करते है वो जाति से राजपुत है ओर अपने बल से कब्जा करना चाहते जिस कारण उनके विरूद्व वाद पेश किया है प्रतिवादीगण ने वादवर्णित भूमि पर 50 वर्षो से अपने कब्जे में चली आना अकित किया है जो गलत है वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल रजिस्टर तब्दीलात प्रदर्श, 2 रजिस्टर तब्दीलात संवत 1990, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039, प्रदर्श 4 से 21 तक लगान की रसीदे जो इस जमीन की पीलाई लड़की बांध से होती रही है, प्रदर्श 22 से 30 सिचांई विभाग से जारी मांग पत्र, प्रदर्श 31 से 38 जिनस्वार की नकले चौसाला जो संवत 2013 से 2044 तक है, प्रदर्श 39 रिसवर नियुक्ति का आदेश, प्रदर्श 40 रिसीवार ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया की प्रति, प्रदर्श 41 चार्जशीट, प्रदर्श 42 विक्रय पत्र, प्रदर्श 43 प्रतिवादीगण द्वारा भेजा गया वादी को नोटिस, प्रदर्श 44 भंवरसिंह जी का फोटो इन दस्तावेजो के अलावा वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में PW1 दलपतसिंह PW2 गणपतलाल PW3 भवंरलाल गाडरी को परिक्षित कराया गया वादीगण द्वारा उपरोक्त दस्तावेज वादी के कब्जे को दर्शाती है विक्रय पत्र वादी के खातेदारी अधिकार को पूर्ण रूप से साबित व प्रमाणित करते है स्वतन्त्र गवाह PW3 के रूप में श्री भंवरलाल गाडरी को परिक्षित कराया गया जिसने वादवर्णित भूमि को वादी हीरालाल बुलिया ने सिजारे पे काश्त कराना कहा गया ओर प्रतिवादीगणो का कब्जा नही है जिसके आधार पर विवाधक संख्या 1 वादी के पक्ष के में व प्रतिवादीगण के विरूद्व फरमाया जावें। इसी के साथ आगे निवेदन किया विवाधक संख्या 2 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित कराने के लिये ना कोई जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदे, पेश नही की जो उनके कब्जे को प्रमाणित कर सके। प्रतिवादीगण का कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नही है। प्रतिवादी संख्या भंवरसिंह की पुत्री शोभाकंवर उर्फ शानुकंवर के बयान करवाये गये जिन्होने जमीनो पर कब्जा 40 साल से अधिक समय से होना बताया जिरह में कहा कि विवादित जमीन पूर्व में जोधसिंह पिता किशनसिंह राजपूत के खातेदारी में थी ओर हमने जोधसिंह से जमीन नही खरीदी बल्कि हमारे बाप दादाओ ने बोने के लिये दी थी जोधसिंह जी ने संवत 1990 में हीरालाल जी को बेच दी हो तो मुझे पता नही विवादित जमीन वर्तमान में रिसीवरी में चल

रही है। वादी द्वारा जिनस्वार की नकले पेश की जिसमें हीरालाल के द्वारा काश्त करना अकिंत हो तो हमे जानकारी नही है आगे कहा कि सरकारी कागजो में क्या लिखा में नही जानती कब्जा हमें किसी ने नही दिया कब्जा हमारा ही है ओर आगे कहा कि सरकार मौके पर आये तो जुते पड़े हम राजपूत है राजपूतो की जमीन पर कोन आ सकता है यह बात सही है कि हीरालाल जी के वारीसान से कब्जा तहसीलदार जी रिसीवर ने लिया हो तो मुझे पता नही DW4 मोहनसिंह जों स्वयं प्रतिवादी है ने अपने बयान में कहा कि जब से यह मुकदमा हुआ तब से हीरालाल जी जमीन पर नही आये मेने भी इन जमीनो पर काश्त की कब की मुझे साल संवत याद नही फिर कहा 50 वर्ष से खेती कर रहा हुँ ओर जिरह में स्वीकार किया कि यह बात सही है कि हीरालाल जी ने यह जमीन जोधसिह वल्द किशनसिंह राजपूत से खरीदी थी यह विवादित जमीन भंवरसिंह, सुगनसिंह जी ने नही खरीदी अज खुद कहा कि यह जमीन 201/—रूपये में गिरवे थी ओर 201/—रूपये में गिरवे किसने रखी मुझे पता नही मेरे को शोभकंवर बयान देने को लायी में शोभकंवर के कहने से बयान दे रहा हुँ। प्रतिवादीगण ने वादपत्र में व अपनी साक्ष्य से विवादित जमीने पूर्वजो की होना बताया है लेकिन कोई जमाबन्दी पेश नही की गई ओर न कोई कब्जा होने का दस्तावेज पेश किया प्रतिवादी कैसे किस दिनांक को कोनसे कृत्य से काबिज हुए इस बाबत् कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये।

अन्त में वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दुष्टान्त पेश किये है

1. 2009 आरबीजे पेज. 351 (डीबी) चतरसिह बनाम घीसाराम
2. 2001 आरआरडी पेज. 190 (डीबी) जीवा बनाम विधिक प्रतिनिधि सबला
3. 1984 आरआरडी पेज. 529 (डीबी) जाबर बनाम श्रीमती दुर्गा
4. 1984 आरआरडी पेज. 588 (डीबी) नुरखां बनाम मखबुल
5. 2011 आरबीजे पेज. 387 (डीबी) जगदीश बनाम सीताराम

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा दिनांक 17.11.1981 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पेश किया तब से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण ने किसी स्वतन्त्र साक्ष्य को प्रस्तुत नही किया गया जो वादी का कब्जा प्रमाणित कर सके साक्षी 3 भवरलाल ने अपने आप को 5—10 वर्ष तक सिजारा काश्त करने का उल्लेख किया किन्तु किस साल से किस साल तक सिजारा किया इसका खुलासा नही किया ओर न कोई लिखापढ़ी पेश की गई वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद चालु हुआ उसके बाद सिजारा नही किया सिजारे के दौरान कितनी फसल पैदा हुई जानकारी नही इसके खण्डन में प्रतिवादी की ओर से शोभकवंर, अभयसिंह, नन्दलाल, मेघसिंह, उदयराम, मोहनसिंह, कालुलाल गुजर के बयान कराये गये जिसमें 50 वर्ष से कब्जा वादीगण का बताया। प्रतिवादी मोहनसिंह ने अपने बयान में बताया कि 20—25 वर्ष से हम ही बो रहे है इस जमीन को भाणेज काश्त कर रहा जसकी मां का नाम शोभु है जब से मुकदमा हुआ तब से हीरालाल नही आया है। मेघसिंह ने कहा कि 10 वर्ष से खरीफ की फसल बोई है। कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर जो गाये भैसे चर रही थी उसके बारे में उपस्थित मौत बिरान द्वारा यह गाये भैंसे भवरसिंह उर्फ विजयसिंह की होना बताया प्रतिवादी साक्ष्य संख्या 8 नानुराम गाडरी ने शपथ पत्र में कहा कि वादीगण का कभी कब्जा नही देखा वादवर्णित जमीन की घास को ठाकुर (प्रतिवादीगण) बैच देते है फिर मवैसी चराते है। वादीगण के द्वारा विक्रय पत्र प्रदर्श 41 पेश किया जिसकी मालायत 400/—रूपये है जो अपंजीकृत है। यह

दस्तावेज संवत 1990 को लिखा गया जबकि रजिस्ट्री कानुन सन् 1908 से लागु था जिसके आधार पर कोई मालिकाना हक प्राप्त नही होता। वादी ने अपने दामाद अर्जुनलाल बापना जो रायपुर में पटवारी थे मिलकर भूमि अपने नाम करा ली किन्तु कब्जा प्रतिवादी का चलता रहा। प्रतिवादी द्वारा अपनी तहरीरी व तकरीरी शाहदात से प्रमाणित करा दिया है कि दायरी वाद से भी पिछले 50 वर्षो से प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है ओर कब्जा मुखालपाना के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है इस तनकी का खण्डन वादी की ओर से नही किया ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के पक्ष में कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा फरमाई जावे ओर वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावें।

प्रतिवादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये

1. आरआरटी 2014 (1) पेज. 376 गुलाब वगैरा बनाम वीरेन्द्र वगैरा
2. आरबीआई 2008 (15) पेज. 308 थिमैया बनाम शाबीरा
3. डीएनजे 2017 (एसी) पेज. 145 विरूद्वनगर बनाम चन्द्रन
4. डीएनजे 2014 (4) राज पेज. 1554 भैरूलाल बनाम सोहनी
5. आरआरटी 2011—12 (सप्ली.) पेज. 82 केदार गुर्जर बनाम रामनाथ

हमने पत्रावली का अवलोकन किया दोनो अधिवक्ताओ की लिखित व मौखिक बहस पर मनन किया जिसके अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है—

1. आया वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित आराजियात मय चाह जो वादी के खातेदारी ओर कब्जे काश्त की है में प्रतिवादीगण दखंल नही करे वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे बाबत्वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है— वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था जिसमें समर्थन में वादी द्वारा प्रदर्श 1 नकल रजिस्टर तब्दीलात, प्रदर्श 2 रजिस्टर ताब्दीलात सांवत 1990, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039, प्रदर्श 4 से 21 तक लगान की रसीदे जो इस जमीन की पीलाई लड़की बांध से होती रही है, प्रदर्श 22 से 30 सिचांई विभाग से जारी मांग पत्र, प्रदर्श 31 से 38 जिनस्वार की नकले चौसाला जो संवत 2013 से 2044 तक है, प्रदर्श 39 रिसवर नियुक्ति का आदेश, प्रदर्श 40 रिसीवर ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया की प्रति, प्रदर्श 41 चार्जशीट, प्रदर्श 42 विक्रय पत्र, प्रदर्श 43 प्रतिवादीगण द्वारा भेजा गया वादी को नोटिस, प्रदर्श 44 भंवरसिंह जी का फोटा ओरे इसके साथ में गवाह के बयान कराये गये जिसमें श्री भंवरलाल गाडरी ने वादवर्णित भूमि को वादी हीरालाल बुलिया ने सिजारे पे काश्त कराना कहा गया ओर मुख्य रूप से वादी द्वारा जो दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी के साथ साथ संवत 2013 से 2044 तक खसरा गिरदावरी चौसाला की नकले प्रदर्श 31 से 38 कराये गये जिसमें विवादित आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने का इन्द्राज नही हैं इसके साथ ही मुख्य बात यह है कि दिनांक 13.10.1981 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जो नोटिस दिया गया जो प्रदर्श 43 है उसमें लिखा गया कि " ग्राम ढिकाणी के खाता संख्या 92 की आराजी किता 26 रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा लगानी 19 रूपये 11 आने आराजी नम्बर 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183 है। जो आराजियात आपके यहा रहन है ओर रहन की अवधि समाप्त हों जाने पर भी आप रहन से बागुजास्त कर हमारे हक में लिखापढ़ी नही कर रहे है ओर हमेशा टाला टुली करते है। एवं रहन की अवधि समाप्त हो जाने से उक्त वर्णित आराजियात से अब

आपका कोई सम्बन्ध नही रहा है अतः सूचित किया जाता है कि आप 1 सप्ताह में उक्त वर्णित आराजियात रहन से बागुजास्त करने का दस्तावेज हमारे हक में लिख देवे यदि आप इसकी तामिल नही करेंगे तो इसके फलस्वरूप होने वाले हमारे हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी " इस नोटिस से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 13.10.1981 को उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जा नही होकर वादी का कब्जा था। इसके साथ साथ वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जो तब्दीलात रजिस्टर है के अवलोकन से पाया कि उक्त रजिस्टर के कॉलम 6 में खातेदार जोधसिंह वल्द किशनसिंह के नाम दर्ज है ओर रहन के रूप में कॉलम 12 में श्री हीरालाल वल्द जीतमल महाजन का नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 जो तब्दीलात रजिस्टर संवत 1990 का है जिसमे भी खातेदार जोधसिंह वल्द किशनसिंह का नाम दर्ज है ओर बेचान से वाद वर्णित भूमि मंजुरी अदालत नम्बर 109, 87 दिनांक 22.02.1934 नियामत नम्बर 5798 दिनांक 27.02.1934 के अनुसार भूमि श्री हीरालाल वल्द जीतमल महाजन के नाम दर्ज हुयी। इस प्रकार उक्त भूमि पर वादी द्वारा अपना कब्जा साबित कराया यह जरूर है कि वाद दायरी के बाद वादी का कब्जा नही होकर भूमि रिसीवर के कब्जे में है। ओर इसके साथ वादी द्वारा लगान की रसीदें पिलाई की रसीदे भी पेश की गई जिससे भी वादी का कब्जा प्रमाणित होता है चुंकि जो व्यक्ति भूमि की पीलाई करता है उसी के नाम पीलाई की रसीदे जारी होती है। वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर पूर्णतया लागु होते है। उपरोक्त विवरण के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया प्रतिवादीगण का वाद वर्णित आराजियात पर पिछले 50 से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त है ओर कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार का हक प्राप्त हो जाने से खातेदार कृषक धोषित होने के अधिकारी है— प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण का था जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पेश नही किया बल्कि इसके विपरीत वादीगण के द्वारा जो खसरा चौसाला की नकले पेश की उसमें भी प्रतिवादीगणो का कब्जा होने का कोई इन्द्राज नही है संवत 2033 तक राज्य सरकार के द्वारा खातेदार के विपरीत अगर किसी का मौके पर कब्जा होता था तो उसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में वक्त जिनस्वार पटवारी हल्का द्वारा किया जाता था किन्तु इस प्रकरण में जो खसरा गिरदावरी पेश हुई है वो सभी वाद दायरी के पूर्व की है जिसमें खातेदार के विपरीत कब्जा होने का कोई इन्द्राज नही है प्रतिवादीगणो द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में कुछ व्यक्तियों के बयान से कहलाया की कब्जा प्रतिवादीगणों का है यह कब्जा किस आधार पर अर्थात खातेदार की हैसियत से या निलामी दाता की हैसियत से है इसका कोई ठोस प्रमाण नही प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है जो कब्जे के अभाव में लागु नही होते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा फुल बैंच आरबीजे 2011 के द्वारा भी निर्णय दिया गया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है जबकि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपना कब्जा ही साबित नही करा पाये तो खातेदारी अधिकार कब्जा मुखालपाना के आधार पर दिये जाना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में कब्जा मुखालपाना प्रमाणित नही होने से तनकी नम्बर 2 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादी किया जाता है।

3. अनुतोष —

इस प्रकरण में वादी अपने वाद को तहरीरी एवं तकरीरी आधार पर सिद्व कराने में सफल रहा ओर प्रतिवादी अपनी तनकी को साबित कराने में असफल रहे है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ढीकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का मे स्थित आराजी नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 153 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 154 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 155 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 157 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 161 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 162 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 163 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 166 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 169 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 174 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 179 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 180 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 182 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 183 रकबा 2 बीघा, कुल किता 26 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने की कोशिश नही करे ओर वादी को शान्तिपूर्वक हमेशा की भांति भूमि निजाई पर काबिज बने रहने दे काश्त करने देवे ओर किसी प्रकार का कोई मुजाहमत या हस्तक्षेप स्वयं या अन्य किसी से नही करावें इस आशय की बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.3.2020
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 147/2010 (2010/00080) वादपत्र

1. हीरालाल वल्द जीतमल बुलिया महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर मतृक के बजाय
1/1. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल इन्दोर
1/2. दलपतसिंह पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल कांकरोली
1/3. गणपत पुत्र हीरालाल बोलिया निवासी हाल पांवापुरी (सिरोही)
1/4. नजरबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि सोहनलाल महता निवासी हाल उदयपुर
1/5. सम्पतबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि अर्जुनलाल बापना निवासी रायपुर
1/6. लुणबाई पुत्री हीरालाल बोलिया पत्नि चुन्नीलाल चण्डालिया निवासी हाल उदयपुर

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत नि. ढिकाणी त. रायपुर मृतक के बजाय
1/1. हरिसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. शंकरसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. सम्पतसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. पारसकंवर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5. शानुकवंर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6. कमलाकंवर पुत्री भंवरसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुगनसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1. भैरूसिंह पुत्र सुगनसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2. गजराजसिंह पुत्र सुगनसिह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
3. मनोहरसिंह वल्द समरथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहनसिंह उर्फ भंवरसिंह वल्द समरथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
5. शंकरसिंह वल्द भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
6. हरिसिंह वल्द भंवरसिंह उर्फ विजयसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर
7. भेपालसिंह वल्द गुमानसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भोमसिंह वल्द नन्दसिंह राजपूत निवासी पालड़ी हाल मुकाम ढिकाणी तहसील रायपुर
9. सज्जनसिंह वल्द सार्दुलसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10.लक्ष्मणसिंह वल्द देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर लाओलाद फोत
11.मोडसिंह वल्द रघुनाथसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
11/1. धापुकवंर बेवा मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/2. भीमसिह पुत्र मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/3. पुरणकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/4. सम्पतकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/5. कैलाशकवंर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी ढिकाणी तहसील रायपुर जि0 भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि मौजा ढीकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का मे स्थित आराजी नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 153 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 154 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 155 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 157 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 161 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 162 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 163 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 166 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 169 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 174 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 179 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 180 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 182 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 183 रकबा 2 बीघा, कुल किता 26 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने की कोशिश नही करे ओर वादी को शान्तिपूर्वक हमेशा की भांति भूमि निजाई पर काबिज बने रहने दे काश्त करने देवे ओर किसी प्रकार का कोई मुजाहमत या हस्तक्षेप स्वयं या अन्य किसी से नही करावें इस आशय की बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:12:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: